



कार्यालय

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
छिंदवाड़ा वनवृत्त, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश – 480001

Email-cfchhindwara@mpforest.org

Tel./Fax No.07162-245470

क्रमांक / मा.चि. / 76
प्रति,

छिंदवाड़ा, दिनांक

17 JAN 2023

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू-प्रबंध)
म.प्र. भोपाल

विषय:— नवेगाव धानाउमरी मुख्य मार्ग से टेकापार मार्ग लंबाई 2.40 कि०मी० एक रेखण मे आने वाली वन भूमि मे मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित एरिया 1.68 हे.निर्माण कार्य वनक्षेत्र मे करने हेतु अनुमति प्राप्त करने बाबत प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/Road/144191/2021

संदर्भ:— 1.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 1806 दिनांक 24.05.22

2.वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2630 दिनांक 30.11.22 एवं पत्र क्रमांक 43 दिनांक 12.01.2023

—000—

निवेदन हैं कि विषयांकित संदर्भित पत्र क्रमांक 1 से चाही गयी प्रकरण मे भारत शासन के पत्र क्रमांक 6-MPB 010/2022-BHO दिनांक 26.04.22 के बिंदु क्रमांक 1 के चाहे अनुसार भाग 3 संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार ।


वनसंरक्षक

छिंदवाड़ा वनवृत्त
छिंदवाड़ा
13/1/23

17 JAN 2023

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 77

छिंदवाड़ा, दिनांक

प्रतिलिपि:—1.वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2. कार्यपालन यंत्रि लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वनसंरक्षक

छिंदवाड़ा वनवृत्त
छिंदवाड़ा
13/1/23

E-MAIL

Navegaon Ghanaumri west

17/1/23

भाग ।।।

संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है

स्थल निरीक्षण / अनुशंसा

—000—

प्रकरण नवेगावं धानाउमरी मुख्य मार्ग से टेकापार मार्ग प्रस्तावित एरिया 1.68 हे. (40 हे० से कम होने के कारण) का होने से स्थल निरीक्षण नहीं किया गया।

प्रकरण पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल अंतर्गत नवेगावं धानाउमरी मुख्य मार्ग से टेकापार मार्ग लंबाई 2.40 कि०मी० के एक रेखण में आने वाली वनभूमि में मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित एरिया 1.68 हे.का आवेदक कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग(भ/स) संभाग छिंदवाड़ा का प्रकरण वनमंडलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार पेंच-सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कॉरीडोर अंतर्गत आने से प्रकरण में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड एवं राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड से अनुमति लिया जाना आवश्यक है। राज्य वन्य प्राणी बोर्ड से सहमति प्राप्त होने की स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के निमित्त प्रावधानों के तहत अनुशंसा की जाती है।


वनसंरक्षक

छिंदवाड़ा वनवृत्त
छिंदवाड़ा